प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 41 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 9 – 15 अक्तूबर 2018 मूल्य पांच रूपए

मोदी–शाह के खास अदानी प्रकरण की जांच छेड़कर जयराम की नीयत और नीति सवालों में

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने धर्मशाला में अपनी पहली मन्त्रीपरिषद् की बैठक में बीवरेज

कॉरपोरेशन के खिलाफ जांच करवाने का फैसला लिया था। लेकिन अब तक दस माह में जयराम की विजिलैन्स इस मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नही कर पायी है। इस फैसले के बाद भाजपा द्वारा एक समय महामहिम राष्ट्रपति को वीरभद्र के खिलाफ सौंपे आरोप पत्र की बारी आयी। इस आरोप पत्र को भी सीधे विजिलैन्स को भेजने की बजाये इस पर पहले संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गयी। इस आरोप पत्र के एक भी आरोप पर अब तक कोई मामला दर्ज नही हो पाया है। इसके बाद 2010 – 11 में भू – खरीद के लिये भू – सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत दी गयी अनुमतियों में हुए घोटाले की जांच करवाने की बात आयी। इसमें विजिलैन्स ने उस मामले को पुनः से शुरू कर दिया जिसमें पहले खुद ही क्लोज़र रिपोर्ट डाल रखी थी। इस क्लोज़र रिपोर्ट को वापिस लेकर जांच शुरू की गयी। लेकिन जब यह सामने आया कि धारा 118के तहत अनुमति की स्वीकृति या अस्वीकृति केवल मुख्यमन्त्री ही दे सकता है और इस जांच को पूरा करने के लिये तत्कालीन मुख्यमन्त्री के ब्यान लेना अनिवार्य होगा तब यह जांच भी अब एक मोड़ पर आकर रूक गयी है। अब अदानी के 280 करोड़ वापिस देने के एक समय लिये गये फैसले की जांच किये जाने की चर्चा उठ पड़ी है। यह जांच की चर्चा कहां तक पहुंचती है इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन इन दस माह में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाये गये यह कदम चर्चा का विषय बने हुए हैं और यह आकलन किया जा रहा है कि जयराम की नीयत क्या है? क्या वह सही में ही इन मामलों की जांच करना चाहती है या फिर वरिष्ठ अफसरशाही ने उसे अपने चक्रव्यूह में उलझा लिया है।

क्योंकि बीवरेज कॉरपोरेशन का मामला वीरभद्र सरकार के दौर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें करीब पचास करोड़ का घपला होने का आरोप भाजपा अपने ही आरोप पत्र मे लगा चुकी है। स्मरणीय है कि बीवरेज कॉरपोरेशन में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सिवाय मन्त्री के सीधा दखल नही रहा है। इसमें यदि कोई घपला हुआ है तो वह इससे जुड़े अधिकारियों के स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन इस कॉरपोरेशन मे जो अधिकारी उस समय जुड़े रहे हैं वह आज जयराम सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बैठे हुए हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि यह लोग अपने ही खिलाफ कोई जांच कैसे होने देंगे।

इसी तरह भाजपा के आरोप पत्र पर जब संबंधित विभागों से पहले रिपोर्ट लेने का फैसला लिया गया और रिपोर्ट ली गयी तब यह स्पष्ट हो गया था कि इस आरोप पत्र का अंजाम भी पहले के आरोप पत्रों की तरह होगा। यह तय है कि जयराम की विजिलैन्स इसमें कोई मामला दर्ज नही कर पायेगी। जब यह आरोप पत्र सौंपा गया था तब भाजपा ने विधानसभा पर इसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। ऐसे ही जब धारा 118 के तहत दी गयी

अनुमतियों की जांच पर कदम उठाया तब जब यह सामने आया कि इसके लिये तो गुलाब सिंह और धूमल तक पहुंचना पड़ेगा तब इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी तर्ज पर अब अदानी के 280 करोड़ लौटाने के फैसले की जांच का मुद्दा है। सब जानते हैं कि अदानी के प्रधानमन्त्री

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या जनमंच का समन्वयक बनकर बरागटा संवैधानिकता के विवाद से बच पायेंगे

शिमला/शैल। पूर्व मन्त्री और जुब्बल कोटखाई के विधायक नेरन्द्र बरागटा को पिछले दिनों भाजपा विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है और उन्होने यह ग्रहण भी कर लिया है। इस पद ग्रहण के बाद उन्होने अपने समर्थकों की एक रैली आयोजित करके मुख्यमन्त्री जयराम का धन्यवाद भी किया है। जयराम सरकार ने बजट सत्र के दौरान एक विधेयक लाकर मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को मन्त्री के ही समकक्ष वेतन भत्ते एवम् अन्य सुविधाएं दे दी हैं। बरागटा को सचिवालय में कार्यालय भी दे दिया गया है। अब धन्यवाद मिलने के बाद जयराम ने बरागटा को सरकार के जनमंच कार्यक्रम सचिवालय स्तर पर कोआरडिनेटर भी लगा दिया है।

सरकार में सचेतक मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक के नाम से कोई पद सृजित नही है। संविधान में मुख्यमन्त्री से लेकर उपमुख्यमन्त्री तक के पद परिभाषित है। इन पदों के अधिकार और कर्तव्य भी परिभाषित हैं लेकिन सचेतक की सरकार में कोई भूमिका नही है।

सरकार में उसका न ही कोई अधिकार है और न ही कोई कर्तव्य। सचेतक केवल एक पार्टी के विधायक दल का पदाधिकारी है। इसलिये वेतन भत्तों का जो विधेयक पारित किया है उसमें सचेतक के अधिकारों और कर्तव्यों का भी कोई उल्लेख नही है। इस तरह मुख्य सचेतक को अपने विधायक दल का कर्तव्य निभाने के लिये सरकार की ओर से मन्त्री के बराबर वेतन भत्ते एवम् अन्य सुविधायें दिया जाना एक चर्चा का विषय बनकर उभरा है। अब सरकार ने जो जन मंच का कार्यक्रम शुरू किया है वह भी सरकार में कोई अलग से विभाग नही है। इस कार्यक्रम के तहत भी जो शिकायतें आयेंगी और जिनका मौके पर ही निपटारा नही हो पायेगा उनका सचिवालय स्तर पर समन्वय करेंगे। लेकिन इनमें भी अपने स्तर पर वह कोई योगदान नही कर सकेंगे। यह काम एक मन्त्री स्तर के व्यक्ति की बजाये सचिवालय का साधारण सहायक भी कर सकता था। इस तरह बरागटा को सचिवालय में कार्यालय देने को जायज ठहराने का प्रयास किया गया है। क्योंकि समन्वयक के लिये कोई अलग से वेतन भते नही हैं और इस नाते वह लाभ के पद की परिभाषा के दायरे से बाहर रह सकेगा। लेकिन बतौर मुख्य सचेतक या समन्वयक संविधान के तहत कोई गोपनीयता की शपथ तो ली नही है। जबकि जन मंच के समन्वय के तौर पर उनके पास कई विभागों से जुड़े दस्तावेज आयेंगे और तब यह सवाल उठेगा कि जिस व्यक्ति का पद संविधान में परिभाषित नहीं है न ही जिसने संविधान के तहत गोपनीयता की कोई शपथ ली है उसके पास कोई भी सरकारी दस्तावेज किस अधिकार से आ सकते हैं यह सवाल देर सवेर उठेंगे ही। जैसे कि राज्यपाल के सलाहकार के पद को लेकर सवाल उठाया और तब उस पद का नाम बदल कर मीडिया सलाहकार करना पड़ा था।

बरागटा एक भले और कर्मठ

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती पर सघन अनुसंधान करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉ. यशवन्त सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की सिनेट की 15वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती पर सघन अनुसंधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का एहसास होना चाहिए और जीरो बजट प्राकृतिक खेती में योगदान देना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में गहन अनुसंधान करने का आग्रह किया तथा प्रदेश सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने आश्वस्त किया है कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती से संबंधित परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी। परिषद ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्राकृतिक खेती पर शोधकार्य किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास वैज्ञानिकों की सहायता के बिना संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती अपनाते समय वैज्ञानिकों को और अधिक कार्य तथा भारतीय बीजों को तैयार करने, जैविक कार्बन विश्लेषण तथा मित्रजीव और लाभप्रद कीटों पर अनुसंधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमने रासायनिक व जैविक खेती के परिणाम देखे हैं और अब हमारे पास प्राकृतिक खेती का विकल्प है जो व्यवहारिक है और इससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान डाटा उपलब्ध करवाकर सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक खेती ही श्रेष्ठ है।

उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा गत एक वर्ष के दौरान इस दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा इस दिशा में और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए।

विधायक सुरेश कुमार कश्यप ने भी इस अवसर पर बहुमूल्य सुझाव दिए। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. एच.सी. शर्मा ने राज्यपाल को प्राकृतिक खेती की प्रगति व विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी दी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजेश मारिया ने कार्यवाही का संचालन किया।

इस अवसर पर सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

इससे पूर्व राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित जीरो बजट प्राकृतिक खेती मंडल फार्म का भी दौरा किया। उन्होंने कुल्लू ज़िला के किसानों जो प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं से भी वार्तालाप किया। उन्होंने फल के पौधों पर जीरो बजट प्राकृतिक खेती मंडल का भी शुभारम्भ किया।

आपदा प्रबन्धन में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। आपदा प्रबन्धन में मीडिया की भूमिका पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नन्दा ने की।

इस अवसर पर मनीषा नन्दा ने कहा कि आपदाएं जीवन के प्रत्येक पहलू तथा प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विनाशकारी अकाल पड़ने के बाद फेमिन कमिशन का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में भोपाल गैस त्रसदी एक और दिल दहला देने वाली त्रसदी थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आपदाओं के विषय में सतर्क रहें तथा पिछली आपदाओं से सबक लें।

उन्होंने आपदा के दौरान और उपरान्त प्रशिक्षण और इससे निपटने की तैयारी पर बल दिया तथा कहा कि मीडिया को सरकारी अधिकारियों के साथ कन्धे से कंधा मिलाकर आपदा के प्रभावों को कम करने के प्रयास करने चाहिए।

आरटीएम विश्वविद्यालय नागपुर में मास कम्युनिकेशन विभाग के सहायक प्रोफेसर मोइज़ मैनन हक ने कहा कि मीडिया को आपदाओं की रिपोर्टिंग में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने जन सम्पर्क पेशेवरों से समय रहते मीडिया को सूचित करने का भी आग्रह किया ताकि बहुमूल्य जानकारी के प्रयोग से जान व माल की रक्षा की जा सके।

एनडीटीवी इंडिया के (सरकारी मामलों) के सम्पादक हिमांशु शेखर मिश्रा ने आपदाओं के दौरान अपनी रिपोर्टिंग व शोध से संबंधित अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने मीडिया के विकासीय दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने आपदा प्रबन्धकों जिसमें की सरकारी व निजी हित धारक शामिल हैं को जनता की भलाई के लिए एक-दूसरे को समझने व आपसी समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया।

निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कश्यप ने अपने सम्बोधन में राज्य में हाल ही में भारी बारिश के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना की। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि आपदाओं के दौरान जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करें ताकि लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा न हो।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. शशिकांत शर्मा ने राज्य में घटित हुई आपदाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भूकंप की तैयारी पर विशेष बल दिया क्योंकि राज्य भूकंपीय जोन-5 में आता है। उन्होंने जन संचार के छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया को नई से नई आपदाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा ने कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न मीडिया कर्मी, राज्य सरकार के अधिकारी व छात्रों ने भी भाग लिया।

सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत तीन कम्पनियां स्थापित करेगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार आपदाओं के समय कुशल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तर्ज पर राज्य में आपदा प्रतिक्रिया बल के अंतर्गत तीन कंपनियों की स्थापना करेगी। यह बात

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर ओक ओवर में नागरिक सॉलिडेरिटी मार्च को रवाना करने तथा हि.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चार योजनाओं की शुरूआत करने के उपरांत संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर शुरू की गई चार योजनाओं में आपदा तैयारियों तथा प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयं सेवकों का कार्यबल सृजित करना, अस्पताल सुरक्षा के लिए योजना, भवनों की लाईफ के लिए ढांचागत सुरक्षा ऑडिट तथा खतरा प्रतिरोधी निर्माण पर मिस्त्रियों, तरखानों तथा बार बांइडर्स के लिए प्रशिक्षण योजना शामिल हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के सर्वाधिक खतरनाक आपदा संभावित राज्यों में है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूगर्भीय खतरों, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, फ्लैश बाढ़ और हिमनद विस्फोट जैसे जलविद्युत खतरों, ओलावृष्टि, सूखा तथा बादल फटने जैसी घटनाएं आम हैं। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक आपदा के समय किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयं सेवकों का एक कार्य दस्ता तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 3226 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में कम से कम 10 से 20 युवा स्वयं सेवियों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जान व माल को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए जन जागरूकता तथा पूर्व तैयारियां आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा अस्पताल सुरक्षा के लिए शुरू की गई दूसरी योजना का उद्देश्य अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित बनाना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण ढांचा है और किसी भी आपदा के अस्पताल सुरक्षा दल का क्रियाशील रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लाइफलाइन भवनों की ढांचागत सुरक्षा ऑडिट योजना काफी महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य राज्य में भूकंपरोधी संरचना प्रदान करना है। इसी प्रकार, खतरे प्रतिरोधी निर्माण पर मिस्त्रियों, तरखानों तथा बार बाइंडर्स के प्रशिक्षण के लिए योजना का उद्देश्य निर्माण कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए यहां की आपदा संभावित स्थलाकृति के दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दस्ता स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पिति जिले में हाल ही की वर्षा और समय से पहले भारी बर्फबारी के कारण रोहतांग में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और सैलानी फंस गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य तथा केन्द्र सरकार के सयुंक्त प्रभावी समन्वय के कारण सभी को सुरक्षित रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इन सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सात हैलीकॉप्टर प्रदान किए और सरकार हैलीकॉप्टर के माध्यम से 252 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाब हुई और साथ ही 2509 लोगों को रोहतांग सुरंग से सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बेहतर समन्वय के लिए राज्य सरकार प्रदेश के किसी स्थान पर आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के मध्य जागरूकता फैलाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हि. प्र. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई पुस्तिकाओं के अलावा के.आर. सैजल द्वारा लिखित पुस्तक 'डिजास्टर मैनेजमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीपेयर्डनस' का भी विमोचन किया।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व व लोक निर्माण) मनीषा नंदा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, उपायुक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल, विशेष सचिव डी.सी. राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

एनएचपीसी ने किया मुख्यमंत्री राहत कोष में एक करोड़ का अंशदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को नेशनल हाईड्रो पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) के मुख्य प्रबंध

निदेशक बलराज जोशी ने एक करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। निगम के कार्यकारी निदेशक ए.के. सिंह तथा एम.के. गोयल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्पोरेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार का अंशदान समाज के गरीब, ज़रूरतमंद व पीड़ित मानवता के लिए आवश्यकता के समय मददगार होता है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान करने की अपील की।

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

The Executive Engineer, HPPWD Kangra Distt. Kangra H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the e-tenders on item rate basis, on mentioned work from the eligible and approved contractors/ Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs.)	EMD (In Rs.)	Cost of Tender	Eligiblity Class of Contractor	Time Limit
1.	Annual Maintenance Plan (AMP) of Kangra Sub Division for the year 2018-19 Rural Road Kholi to Simbal Khola (HP0406 VR0042) km. 4/000 to 4/ 750 (SH:- Providing and Laying 25mm thick Bituminous concrete in km. 4/000 to 4/750).	5,31,447/-	10,700/-	350/-	Class-D	One Month

Bidding documents can be viewed from the website ***http://hptenders.gov.in*** and can be downloaded from the website *http://hptenders.gov.in* from **10.00 a.m. on 18.10.2018 to 11.00 a.m. on 31.10.2018.** The technical and financial bids can be deposited in electronic format on the website *http://hptenders.gov.in* from **10.00 a.m. 18.10.2018 to 11.00 a.m. on 31.10.2018** the technical bid received will be opened on same day at **11.30 a.m.** The technical bids will be evaluated and the financial bids of responsive bidders will be opened later on in the presence of the bidders who wish to attend. Other detail/Terms and conditions can be seen in the bidding document which is loaded in through e-tendering. Bid documents contain qualifying criteria for bidders, specifications, bill of quantities, conditions and other detail, if the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bid will be opened on the next working day at the same time and venue.

Adv. No.: 2722/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

योजनाओं की प्रगति का डाटा हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड करें विभाग:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के सभी विभागों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लक्ष्यों तथा प्रगति का डाटा आगामी 20 अक्तूबर तक हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। वह विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, रोजगार सृजन तथा ई-मेल में निर्धारित लक्ष्यों व प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डाटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न योजनाओं के 21,18,661 से अधिक लाभार्थी हैं और सरकार का लक्ष्य प्रत्येक लाभार्थी से सीधे तौर पर जुड़ना और संवाद स्थापित करना है। इसके लिए लाभार्थी के मोबाईल नंबर, वैकल्पिक नंबर, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का अभिलेख प्राप्त किया गया है। बैठक में अवगत करवाया गया कि अभी तक लगभग 10.61 लाख लोगों का डाटा अपलोड किया गया है। कुछ विभागों द्वारा इस दिशा में शिथिलता पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने सौंपे गए दायित्वों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को डाटा अपलोड करने में कोई दिक्कत है तो इसके लिए एनआईसी अथवा सचिव सामान्य प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अनेक नई पहल की हैं जिनका विभागों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़े परिश्रम व ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और इसके लिए योजनाओं का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए और विभागों को एक उपयुक्त तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विभागों में काफी ऑटोमेशन हुआ है और तकनीकी के उपयोग से काम करने के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है फिर भी और सुधार किया जा सकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, स्टार्ट-अप इण्डिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उज्जवला, गृहिणी सुविधा, स्वास्थ्य संरक्षण जैसी अनेक योजनाएं हैं जो समाज के विशेषकर गरीब वर्गों को लाभान्वित करती हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं पर विशेष बल दे रही है और संबद्ध विभागों को योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने में गंभीर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि विभागों द्वारा उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, लेकिन इसे पोर्टल पर पूर्ण रूप से अपलोड नहीं किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को निरंतर समीक्षा करने के आदेश दिए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि अधिकतर 65-70 प्रतिशत मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है जबकि शेष की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं को शीघ्र पूरा करें और इसकी समीक्षा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। इसके लिए विभाग और सक्रियतापूर्वक कार्य करें।

रोजगार सृजन की समीक्षा करते हुए अवगत करवाया गया कि राज्य में लगभग 3.50 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में, आठ लाख को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। यह भी बताया गया कि हर वर्ष बेरोजगारों की सूची में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने विभागों को रोजगार व स्वरोजगार के अधिक अवसर सृजित करने को कहा। उन्होंने परिवहन, उद्योग व शिक्षा विभाग को अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने को कहा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 75 करोड़ रुपये खर्च कर 770 लोगों को अधिकतम 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता स्वरोज़गार के लिए प्रदान की जा सकती है। उद्योग विभाग द्वारा दिहाड़ी पर 17278 लोगों को रोजगार प्रदान करने के मुकाबले 18000 लोगों को यह रोजगार उपलब्ध करवाया है। मनरेगा में 5,15,728 लोगों को रोजगार प्रदान कर 1.37 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के तहत 7532 परिवारों ने 120 दिन का रोजगार पूरा किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी गई ई-मेल पर संतोषजनक प्रगति न होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए विभागों को इसे गंभीरतापूर्वक लेने तथा किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल क्षेत्र में समय से पहले भारी बर्फबारी के कारण फसे भेड़ पालकों की मुश्किलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए चंबा के होली से खच्चर रास्ते के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बड़ा भंगाल क्षेत्र में बड़े हैलीकॉप्टर को उतारने के लिए स्थान भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी नहीं है और हैलीकॉप्टर के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने सिरमौर जिले के हरीपुरधार हैलीपैड को शीघ्र विकसित कर बड़े हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम तीन बड़े स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। आपदाओं के समय इस प्रकार की सुविधा काफी कारगर सिद्ध हो सकती है और साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूटीन के कार्यों की अपेक्षा अगली बैठक में नई पहल व योजनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

पोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को मिले 5 पुरस्कार

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने बताया कि पोषण अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश को उत्कृष्ट कार्यों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार

समारोह में भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य एवं नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमीरपुर की उपायुक्त रिचा वर्मा को पुरस्कृत किया गया। सोशल मीडिया पर अभियान के प्रचार-प्रसार व बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को सम्मानित किया गया है।

डॉ. सैजल ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोलन जिला के समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के चण्डी वृत्त की पर्यवेक्षक लज्या बिन्द्रा को पुरस्कृत किया गया। ग्राम स्तर पर समन्वय समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह राजवाहन की प्रधान देवकी देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजवाहन वीर देवी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता राजवाहन भारती, ग्राम पंचायत लुनस की प्रधान कमला देवी व बाल विकास परियोजना नालागढ़ को सम्मानित किया गया है।

डॉ. सैजल ने कहा कि ग्राम स्तर पर संयुक्त प्रयास द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोलन जिला के बाल विकास परियोजना कण्डाघाट के छियाछी में कार्यरत आशा कार्यकर्ता संतोषी देवी, देहू स्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुनिता देवी व स्वास्थ्य केंद्र छियाछी की सुभद्रा को पुरस्कृत किया गया है।

वन विभाग द्वारा वन अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार

शिमला/शैल। वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन अतिक्रमण एवं बेदखल करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए सरल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें सार्वजनिक पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण के मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

यह जानकारी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन) अजय शर्मा ने विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में शिमला व रामपुर वृत के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में सम्बन्धित वृतों के वन मण्डल अधिकारियो, सहायक अरण्यपालों, वन परिक्षेत्र अधिकारियों व वन रक्षकों को अतिक्रमण के मामलों के डाटा को अपडेट करने संबंधी जानकारी दी गई है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पिछले वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जिनमें ऑनलाईन वृक्ष कटान की अनुमति, ऑनलाईन वृक्ष परागमन अनुमति तथा ऑनलाईन भर्ती प्रक्रिया शामिल है। अब रेंज अधिकारियों तक सभी को ऑनलाईन वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस वर्ष प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा ऑनलाईन विधि से पौधरोपण कार्यों की गतिविधि की निगरानी की गई जिसके द्वारा ज्ञात हुआ कि तीन दिनों में 80,000 लोगों के सहयोग से विभाग ने 17.5 लाख पौधे रोपित किए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न वृतों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 9 से 16 अक्तूबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल के लिए 779 लाख रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भेंट कर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई 779 लाख रुपये की परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने अवगत करवाया कि हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ज़िला मण्डी के राजकीय पॉलटेक्निक कॉलेज सुन्दरनगर में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र आरम्भ करने के लिए 500 लाख रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को एक छत के नीचे लाएगा तथा इसके अतिरिक्त किसानों के लिए अल्पावधि पाठयक्रम आयोजित करने, पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्थाओं व बेरोज़गार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उनके लिए जीविका के साधन सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि परिषद ने भारत सरकार को छात्र परियोजना योजना के तहत 155 लाख रुपये की परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य के कॉलेजों से निकले युवा स्नातक इंजीनियरों को विश्लेषणात्मक और तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है। इसके तहत प्रतिवर्ष 8000 रुपये का अनुदान श्रेष्ठ 400 योजनाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष की इस परियोजना की कुल लागत का वहन राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा मिलकर किया जाएगा।

विपिन परमार ने आगे कहा कि 124 लाख रुपये के प्रस्ताव बॉयोटेक्नोलॉजी में कौशल विज्ञान के तहत भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीव विज्ञान तकनीकी के कौशल को प्रदान करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अन्य क्षेत्रों जैसे खाद्य, जल, फार्मास्यूटिकल, पर्यावरण, उद्योग आदि की पहचान की गई है। यह जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति पर ध्यान केन्द्रीत करेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने विपिन परमार को अवगत करवाया कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए 500 लाख रुपये की प्रस्ताव को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। उन्होंने राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

केन्द्र द्वारा हिमाचल मिल्क फेडरेशन की 32.60 करोड़ की राशि स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने राज्य में दूध क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 32.60 करोड़ की राशि मंजूर की है।

मिल्कफैड के अध्यक्ष निहाल शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में केन्द्रीय पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में इस धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन ने केन्द्र को 109 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था और केन्द्र द्वारा प्रदेश के लिए पहले चरण में 32.60 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

उन्होंने कहा कि मिल्कफेड मण्डी तथा शिमला जिला के रामपुर में 50 हजार लीटर क्षमता के मिल्क प्लांट स्थापित करेगा जिनमें स्वास्थ्यवर्धक दूध उत्पादन सुनिश्चित होगा। मिल्कफेड ने हाल ही में नागरिक आपूर्ति निगम के साथ हिम घी तथा हिम मिठाईयों को प्रदेशभर में निगम की 5 हजार दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निहाल चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी बस अड्डों पर विक्रय केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया है जिसके लिए पथ परिवहन निगम के साथ समझौता किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक घनश्याम चंद ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया।

आप मुझे बेडियों से जकड़ सकते हैं, यातना भी दे सकते हैं, यहाँ तक की आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप कदापि मेरे विचारों को कैद नही कर सकते। .....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

राफेल की जद में सरकार

फ्रांस से खरीदा जा रहा लड़ाकू विमान राफेल दुश्मनों के खिलाफ का इस्तेमाल होगा यह तो इसके अव्यहारिक तौर पर आ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इसकी खरीद प्रक्रिया पर उठते सवालों ने ही जो हमला देश की सियासत पर बोला है उसने सबकुछ हिला कर रख दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षीदल इस पर जेबीसी की मांग कर रही है और सरकार इसके लिये तैयार नही हुई है। इसके बाद सीबीसी के संज्ञान में भी यह मामलों दिया गया है। सीएजी से भी इसकी जांच करवाने की मांग की जा चुकी है। पूर्व मन्त्री यशवन्त सिंह, और अरूण शोरी तथा वरिष्ठ वकील प्रंशात भूषण इसमें एफआईआर दर्ज किये जाने का लिखित आग्रह कर चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार इस सौदे की गोपनीयता को आधार बनाकर हर तरह की मांग को ठुकरा चुकी है। इस सौदे पर उठा विवाद प्रशांत किशोर के जुमले **'' चौकीदार ही चोर निकला''** के मुकाम तक पहुंच गया है। इस जुमले से हर कहीं दिवारें पोती जा रही हैं और कई जगह तो पुलिस इसे देशद्रोह की संज्ञा देती नज़र आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इसी सौदे को लेकर प्रधानमन्त्री पर भ्रष्टता का आरोप लगाते हुए उनसे त्यागपत्र तक की मांग कर डाली है। यह मामला एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका और शीर्ष अदालत ने इसकी खरीद से जुड़ी सारी प्रक्रिया का रिकार्ड सरकार से तलब कर लिया है।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलाँद के ब्यान से राहूल गांधी के आरोपों को बल मिला है। पर्व राष्ट्रपति ओलाँद के अतिरिक्त फ्रांस की ही एक न्यूज साईट मीडिया पार्टनर ने इस सौदे से जुड़ी कंपनी दसॉल्ट के कुछ दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए अनिल अंबानी की सहभागिता पर और गंभीरता जोड़ दी है। कुल मिलाकर यह मुद्दा आज देश की राजनीति का कन्द्रीय सवाल बन चुका है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता डा. संबित पात्रा जिस तरह से सरकार का पक्ष मीडिया के सामने रखते आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास इस सौदे से जुड़े सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। क्योंकि जिस विस्तार से डा. पात्रा इस पर बोलते आ रहे हैं उस विस्तार से तो रक्षामंत्री सीता रमण और सेना अध्यक्ष भी नही बोले हैं। निश्चित है कि डा. पात्रा जिन दस्तावेजों के सहारे बोले आ रहे हैं वह उनके पास सरकार से ही आये होंगे क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल के ही प्रवक्ता हैं। इसलिये यहां यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब संबित पात्रा के पास दस्तावेज हो सकते हैं तो वही दस्तावेज देश की जनता के सामने क्यों नही आ सकते? पात्रा सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं लेकिन वह सरकार नही हैं। यदि उनके पास दस्तावेज सरकार के माध्यम से नही आये हैं तो फिर यह गोपनीय दस्तावेज उनके पास कहां से आ गये? क्योंकि न तो उनके वक्तव्यों का सरकार ने कभी कोई खण्डन किया है और न ही उनके स्त्रोत को लेकर किसी ने कोई सवाल उठाया है। जब इस मुद्दे को **''राष्ट्रीय सुरक्षा गोपनीयता''** के नाम पर संयुक्त संसदीय दल के सामने नही रखा जा रहा है तो फिर पात्रा के पास इतनी जानकारी कैसे? और इसी जानकारी को देश के साथ सांझा क्यों नही किया जा सकता? सरकार के इस आचरण से सरकार का अपना ही पक्ष कमज़ोर है।

इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार यह दावा कर रही है कि उसने कुछ भी गलत नही किया है तो फिर वह इसकी जांच से पीछे क्यों भाग रही है? यदि अंबानी को इस सौदे में शामिल करना पूरी तरह नियम सम्मत हुआ है तो इसका प्रमाण देश के सामने रखने से सरकार क्यों हिचक रही है। जब अंबानी इस सौदे में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मानहानि के नोटिस भेज सकते हैं तो वह इसकी जांच के लिये आगे क्यों नही आ रहे हैं। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कोई सफाई देने से ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि वह स्वयं इसमें जांच किये जाने की मांग करें। सरकार इसकी जांच से जिस तरह भागती जा रही है उससे उस पर लगने वाले आरोप उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं। यदि सरकार इस जांच के लिये आगे नही आती है तो उसे आने वाले चुनावों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा आधुनिक खेल मैदान

वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि श्रेष्ठ खेल सुविधाओं के चलते प्रदेश के युवा राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ियों ने जकार्ता में आयोजित 18वीं एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन खेलों में प्रदेश की तीन महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते और एक पुरूष खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया।

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष नई 'मुख्यमंत्री खेल विकास योजना' आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत चरणवद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा।

योजना के तहत राज्य में ऐसे नौ नए मैदान तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके लिए 6.80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में बहुद्देशीय अन्तरंग खेल परिसरों, खेल मैदानों व अन्य ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खेल-कूद सुविधाओं के पुनरूद्धार के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खेल गतिविधियों के आयोजन के लिए 45.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑलोम्पिक और राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं की राशि बढ़ाई है। ऑलोम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की है। रजत पदक की राशि 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। इसी तरह एशियाई खेलों या राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 20 लाख, रजत पदक जीतने पर 10 लाख और कांस्य पदक जीतने पर छः लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया अन्तर्राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 8 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 10 लाख रुपये जबकि कॉमनवैल्थ व एशियन खेलों में किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले 6 लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले दो लाख के नकद पुरस्कार को बढ़ाकर पांच लाख रुपये जबकि अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी खेल स्पर्धा में भारतीय टीम के सदस्य के रुप में सम्मिलित होने के लिए मिलने वाली 80,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

इस वर्ष बी-वर्ग में किसी भी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 80,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये, द्वितीय को 40,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये व तृतीय को 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये जबकि इसी के तहत टीम स्पर्धा में प्रथम नकद पुरस्कार की राशि को 16,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति खिलाड़ी, द्वितीय को 8,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति खिलाड़ी किया गया है। इस स्पर्धा के तहत पूर्व में तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाता था जबकि सरकार ने तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को 15,000 नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते प्रदेश में युवा गतिविधियों एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न खेल संघों को मिलने वाली अनुदान राशि में उपयुक्त बढ़ोतरी की गई है। राज्य स्तर के खेल संघों को वर्ग-ए में मिलने वाली 1.25 लाख रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये, वर्ग-बी में एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तथा वर्ग-सी में 75,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार जिला खेल संघों को वर्ग-ए में 15,000 से 50,000 रुपये, वर्ग-बी में 12,000 से 25,000 रुपये तथा वर्ग-सी में 8,000 से 20,000 रुपये की बढ़ोतरी अनुदान राशि में की गई है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी अखिल भारतीय इंटर-विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी राष्ट्रीय स्कूल खेल की व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा, किसी भी कनिष्ठ व उप-कनिष्ठ की राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा तथा विभागीय राष्ट्रीय व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों व टीमों को मिलने वाले नकद पुरस्कारों में भी वृद्धि की गई है।

जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती नगर में आठ करोड़ रुपये की लागत से सिंथैटिक ट्रैक का कार्य प्रगति पर है जो अगले दो सालों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। पंचायत स्तर पर 57 बहुद्देशीय आउटडोर तथा 3200 छोटे खेल मैदानो का निर्माण किया गया है। प्रति छात्रवास 70 खिलाडियों को खेल सुविधा देने के अलावा तीन फीसदी खेल कोटे के तहत अब तक 500 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। पंजीकृत खेल क्लबों को प्रतियोगिताएं करवाने के लिए अधिकतम अनुदान 50 रुपये हजार और न्यूतम 20 हजार रुपये अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाइट राशि बढ़ाने के अलावा उनको परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रयासरत है।

द ग्रेट बनाना रिपब्लिक ऑफ इंडिया

पुण्य प्रसून वाजपेयी

दुनिया का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश बनाना रिपब्लिक की राह पर है, ये आवाज 2011 से 2014 के बीच जितनी तेज थी, 2014 के बाद उतनी ही मंद है या कहें अब कोई नहीं कहता कि भारत बनाना रिपब्लिक की दिशा में है। 2011 में देश के सर्वप्रमुख व्यवसायी रतन टाटा ने कहा भारत भी बनाना रिपब्लिक बनने की दिशा में अग्रसर है। साल भर बाद अप्रैल 2012 में भारत के वित्त सचिव आर. एस. गुजराल ने वोडाफोन को कर चुकाने के केन्द्र सरकार के आदेश के परिप्रेक्षय में कहा था कि भारत अभी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई विदेशी कम्पनी अपने आर्थिक लाभ को भुनाने भारत की ओर रुख कर ले और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। तीन महीने बाद ही 2012 में राबर्ट वाड्रा ने तंज कसा मैंगो पीपुल इन बनाना रिपब्लिक। अगले ही बरस कश्मीर को लेकर मुफ्ती मोहम्मद इतने गुस्से में आ गये कि 2013 में उन्होंने भारत की नीतियों के मद्देनजर देश को बनाना रिपब्लिक कहने में गुरेज नहीं की ।

और याद कीजिये 2014 लोकसभा चुनाव के परिणामो से ऐन पहले 8 मई को नरेन्द्र मोदी को एक खास जगह सिर्फ प्रेस कान्फ्रेंस करने से रोका गया तो अरुण जेटली को भारत बनाना रिपब्लिक नजर आने लगा । तो क्या वाकई मनमोहन सिंह के दौर में भारत बनाना रिपब्लिक हो चला था और सत्ता बदली तो बनाना रिपब्लिक की सोच थम गई , क्योंकि एक न्यायपूर्ण सत्ता चलने लगी । या फिर मनमोहन सिंह के दौर में भारत को बनाना रिपब्लिक कहा जा रहा था और नरेन्द्र मोदी के दौर में भारत बनाना रिपब्लिक हो गया तो फिर कहे कौन की भारत बनाना रिपब्लिक है। तो जरा पहले समझ लें कि बनाना रिपबल्कि शब्द निकला कहां से और इसका मतलब होता क्या है । दरअसल बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध अमेरिकी कथाकार ओ. हेनरी द्वारा किया गया था। वर्तमान संदर्भ में उस देश के लिए बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसे एक व्यावसायिक इकाई की तरह से अधिकाधिक निजी लाभ के लिए कुछ अत्यंत धनी एकाधिकारी व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो।

राजनीतिक रूप से बनाना रिपब्लिक देशों की एक मुख्य विशेषता होती है बहुत व्यापक राजनीतिक अस्थिरता। ओ. हेनरी ने बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग उस विशेष स्थिति के लिए किया था, जहाँ कुछ अमेरिकी व्यवसायियों ने कैरीबियन द्वीपों, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका में अपनी चतुराई से भारी मात्रा में केला उत्पादक क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार कर लिया। यहाँ स्थानीय मजदूरों को कौड़ियों के भाव पर काम करवा कर केलों के उत्पादन को अमेरिका में निर्यातित कर इससे भारी लाभ उठाया जाता था। इसलिए बनाना रिपब्लिक की व्याख्या में प्राय: इस गुण को भी राजनीतिक पडित शामिल करते हैं कि ऐसा देश प्राय: कुछ सीमित संसाधनों के प्रयोग पर ही काफी हद तक निर्भर होता है। आप कह सकते है कि भारत में कहां ऐसा है । या फिर ये भी कह सकते है कि भारत में तो ये आम है । असल में बनाना रिपब्लिक में एक स्पष्ट वर्ग की दीवार दिखाई देती है, जहाँ काफी बड़ी जनसंख्या कामगार वर्ग की होती है, जो प्राय: काफ़ी खराब स्थितियों में जीवन यापन करती है। इस गरीब कामगार वर्ग पर मुठ्ठी-भर प्रभावशाली धनी वर्ग का नियंत्रण होता है। यह धनी वर्ग देश का इस्तेमाल सिर्फ अपने अधिकाधिक लाभ के लिए करता है। अब आप सोचेंगे ये तो भारत का सच है। तो क्या भारत वाकई बनाना रिपब्लिक है । तो भारत के बारे में कोई राय बनाइये, उससे पहले ये समझ लीजिये कि बनाना रिपब्लिक शब्दावली का प्रयोग अधिकांशत:मध्य अमेरिकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों के लिए किया जाता है जैसे हाण्डूरास तथा ग्वाटेमाला। लेकिन यहा ये समझना होगा कि इन देशों में ऐसी कौन सी मुख्य विशेषताएं है जो इन्हें भारत से अलग करती है । या फिर इन देशों की हर विशेषता ही भारत की विशेषता है । तो जरा सिलसिलेवार तरीके से समझे। बनाना रिपब्लिक में सबसे पहले तो भूमि का अत्यंत असमान वितरण होता है । और असमान आर्थिक विकास होता है । यानी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में ये सबसे ज्यादा और तीखा है। यानी जमीन और आर्थिक असमानता का आलम भारत में ये है कि एक फीसदी बनाम 67 फीसदी का खेल खुले तौर पर है । एक फीसदी के पास संपत्ति । एक फीसदी के पास संसाधन । एक फीसदी के पास जमीन । और दूसरी तरफ 67 फीसदी के बराबर । फिर भारत में असमानता सा इंडेक्स तो अंग्रेजों की सत्ता के दौर में 1921 वाले हालात को छू रहा है ।

पर भारत को कोई बनाना रिपब्लिक कैसे कहेगा । जबकि बीते चार बरस के दौर में देश के सिर्फ 5 कारपोरेट / औद्योगिक समूह की संपत्ति में जितना इजाफा सिर्फ मुनाफे से हुआ है , मुनाफे की उतनी रकम भर ही अगर देश के करीब 30 करोड़ बीपीएल में बांट दी जाती तो झटके में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बसर करने वाले 30 करोड लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की हैसियत पा जाते । फिर भी भारत जब बनाना रिपब्लिक है ही नहीं तो बनाना रिपब्लिक के दूसरे मापदंडों को परखें । बनाना रिपब्लिक वाले देश में बहुत छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली सामंतशाही वर्ग की मौजूदगी होती है । इस सामंतशाही वर्ग का देश के व्यावसायिक हितों पर व्यापक एकाधिकार होता है । सामंतशाही वर्ग के कुछ धनी देशों के व्यावसायियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होते है । इन घनिष्ठ सम्बन्धों का देश के निर्यात व्यापार पर स्पष्ट पकड़ होना माना जाता है । तो इन मापदंडों पर भारत कितना खरा उतरता है, ये क्रोनी कैपटलिज्म के हर चेहरे तले भारतीय राजनीतिक सत्ता को देखकर समझा जा सकता है । मसला सिर्फ राफेल डील में देश का हजारों करोड रुपया एक खास आधुनिक सत्ता के करीबी सामंत को देना भर नही है । बल्कि हर क्षेत्र में चीनी से लेकर आलू तक और इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर हथियार तक में मुनाफा बनाने के लिये सत्ता के करीबी चंद सामंतों की मौजूदगी हर दायरे में नजर आयेगी । बिजली पैदा करनी हो । खदानों से कोयला निकालना हो । सूचना तकनीक विकसित करनी हो । फ्लाई ओवर से लेकर सीमेंट रोड बनानी है । मेट्रो लाइन बिछानी हो । सब के लिये देश के खनिज संसाधनों से लेकर सस्ते मजदूरो की लूट अगर सत्ता ही मुहैया कराने लगे । या फिर सत्ता की उपयोगिता ही नागरिको की सेवा के नाम पर आधुनिक सामंतों को लाभ पहुंचाते हुये खुद को सत्ता में बरकरार रखने की इक्नामी हो तो फिर बनाना रिपब्लिक कहा मायने रखेगा । दरअसल भारत बनाना रिपब्लिक हो ही नहीं सकता क्योंकि बनाना रिपब्लिक के लिये जरुरी है उस एहसास को बनाये रखना कि लोकतंत्र ऐसा होगा । इसीलिये बनाना रिपब्लिक के मापदंडों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे देशों में सेना द्वारा सत्ता का तख्ता पलटने की संभावनाएं प्राय: हमेशा बनी रहती हैं। अब कल्पना कीजिये क्या ये भारत में संभव है । यकीनन नहीं । लेकिन अब इसके सामानांतर सोचना शुरु कीजिये लोकतंत्र तो तब होगा जब संविधान होगा । जब संविधान का मतलब सत्ता हो जाये । और लोकतंत्र सत्ता के चुने जाने के सत्तानुकूल तरीके पर जा टिका हो तब बनाना रिपब्लिक का मतलब होगा क्या । दरअसल मोदी दौर की सबसे बडी खासियत यही है कि बनाना रिपबल्कि होने की जो जो परिभाषाएं अंतरराष्ट्रीय तौर पर गढी गई है उन परिभाषाओ को भी लोकतंत्र के नाम पर संविधान दफन करते हुये इस तरह हड़प ली गई है कि आप भारत को बनाना रिपब्लिक कभी कहें ही नहीं । सिर्फ अघोषित आपातकाल कहकर अपने भीतर उस रौशनी को जलाये रखेंगे कि देश में एक संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो यहां चंद दिनों के लिये एक तानाशाह है, जिसे जनता 2019 में बदल देगी। पर बनाना रिपबल्कि की माहौल बताता है कि आप बनाना रिपब्लिक में जीने के आदी हो चुके हैं और अब आप संविधान की दुहाई देते हुए संघर्ष करते नजर आयेंगे। और इस संघर्ष का दोहन भी सत्ता कर लेगी।

क्यों मुद्दा गौण हो जाता है और राजनीति बड़ी?

हमारे देश में मुद्दा कोई भी हो वह गौण हो जाता है और राजनीति बड़ी। इस मामले में भी अब तक कुछ ऐसे ही हुआ। यह मानने के कई कारण मौजूद हैं कि पूर्व सरकारों द्वारा जानबूझकर इस मुद्दे को उलझाया गया। वोटों की राजनीति की गई और धर्म के नाम पर लोगों को बाँटा गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया।

-डॉ नीलम महेंद्र-

सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों से-देश का-आम आदमी कुछ बातें सोचने के लिए मजबूर हो गया-है। आइये समझते-हैं कैसे? इसे समझने के लिए कोर्ट के कुछ ताज़ा फैसलों पर एक नज़र डालते हैं,

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला मन्दिर में हर उम्र की स्त्री को प्रवेश का अधिकार देकर सालों पुरानी धार्मिक प्रथा का अंत कर दिया है। लेकिन बेंच में शामिल एकमात्र महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने पाबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि धार्मिक रीति रिवाजों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।

इससे दो दिन पहले राम मंदिर मुकद्दमे पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत से अपना ताजा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण ने फारूकी के निर्णय को सही ठहराया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नही है जबकि जस्टिस नजीर का मानना था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है इसलिए इसे वृहद पीठ को सौंपा जाए।

इससे कुछ समय पहले ट्रिपल तलाक के केस में भी फैसला 3:2 के बहुमत से आया था जिसमें दो जजों चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में दिए अपने फैसले में कहा था कि तीन तलाक धार्मिक प्रथा है इसलिए कोर्ट इनमें दखल नही देगा।

इन फैसलों के विरोध में जिन जजों ने अपना पक्ष धार्मिक आस्था के नाम पर रखा उनका पक्ष एक साधारण-पुरुष अथवा महिला-के नाते सही-हो सकता है लेकिन एक न्यायाधीश के पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के नाते नही, दरअसल सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझनी चाहिए कि देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है। जब वह हर तरफ से हार जाता है, सिस्टम के आगे घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया जाता है तो वह कोर्ट की शरण में जाता है। इसलिए न्यायाधीश की कुर्सी-पर बैठे जज को यह समझना चाहिए की इस समय-वह न्याय का देवता है। इसलिए उसे-हर भावना से ऊपर उठकर, पंथ सम्प्रदाय से परे होकर केवल एक न्यायाधीश बनकर-सोचना चाहिए ना की एक महिला अथवा पुरुष।

यह बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने इतने सालों बाद-अपने ताजा फैसले में अब जाकर यह स्पष्ट कहा कि इस मामले को वह धर्म अथवा धार्मिक आस्थाओं के नजरिये से नही देखेगा । इस विवाद में वह केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय लेगा। निसंदेह यह स्वागत योग्य ऐसा निर्णय है जिसकी प्रतीक्षा देश को लम्बे समय से थी लेकिन यह भी सत्य है कि इस निर्णय को लेने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कई साल लग गए।

सुप्रीम कोर्ट को यह कहने में इतना समय लग गया कि हमारे लिए यह मामला आस्था का नही बल्कि एक आम भूमि विवाद है इसलिए इस मामले में भावनात्मक और राजनैतिक दलीलें नही सुनी जाएंगी। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई को अगले लोकसभा चुनावों तक टाल देने की मांग की थी। अब-शायद उन्हें अपनी इस दलील का जवाब मिल गया होगा कि यह न तो एक राजनैतिक मुद्दा है और न ही धार्मिक आस्था का मुद्दा। यह केवल एक भूमि के टुकड़े पर स्वामित्व का मुद्दा है।

1853 से लेकर 2018 तक का समय-किसी मामले में फैसला लेने के लिए कम नही होता। वह भी तब जब यह बात इतिहास में दर्ज हो कि 1527 में बाबर के आदेश पर अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण किया था। यह ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हो कि 1940 से पहले इस मस्जिद को-'मस्जिद -ए-जन्म अस्थानी अर्थात जन्म स्थान की मस्जिद कहा जाता था। इस तरह इस स्थान को हिन्दुओं के आराध्य देव श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में स्वयं ही स्वीकार किया जाता रहा हो। इसके अतिरिक्त आकियो लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में मस्जिद के नीचे एक भव्य मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हों!

लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में मुद्दा कोई भी हो वह गौण हो जाता है और राजनीति बड़ी। इस मामले में भी अब तक कुछ ऐसे ही हुआ। यह मानने के कई कारण मौजूद हैं कि पूर्ववती सरकारों द्वारा जानबूझकर इस मुद्दे को उलझाया गया। वोटों की राजनीति की गई और धर्म के नाम पर लोगों को बाँटा गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया।

नही तो क्या कारण है कि आज तक यह विवाद खत्म नही हुआ ? अगर देखा जाए तो विवाद केवल यह है कि एक पक्ष का कहना है कि विवादित स्थल पर पहले एक राम मंदिर था जिसे तोड़ कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया।-एक आम मुकद्दमे के ही तरह इस का फैसला भी तथ्यों और सबूतों के आधार पर किया जाता जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अभी कहा। लेकिन यह खेद का-विषय है कि इससे पहले इस मुकद्दमे के मूल विषय से अधिक इसमें एक विशेष पक्ष की-धार्मिक भावनाओं को विशेष महत्व देकर विवाद को बनाए रखा गया। लेकिन अब इस सब के पीछे छिपी राजनीति बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आज भी इस देश के आम आदमी का पूरा जीवन अपनी रोजी रोटी और एक सम्मान जनक जीवन यापन की जुगत में ही निकल जाता है। वो बेचारा तो-इन राजनेताओं की राजनीति के चलते उन के हाथों की कठपुतली मात्र बन कर रह जाता है।

क्योंकि यह एक निविवाद सत्य है कि हर व्यक्ति चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो, ईश्वर के किसी भी रूप को मानता हो, उसके प्रति उसकी श्रद्धा उसका निजी मामला होता है और हर पंथ में यह कहा गया है कि ईश्वर को सच्चे मन से कही भी किसी भी समय याद किया जा सकता है। अपने आराध्य की स्तुति में भाव महत्वपूर्ण होता है स्थान नही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नही है स्वागत योग्य है लेकिन यह दुखद है कि इस बचकानी दलील को खारिज करने में सालों लग गए लेकिन देर आये दुरुस्त आये।

देर आय

वीरभद्र सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन से प्रदेश पर 46,500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कांग्रेस पार्टी में तब प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्व. जय बिहारी लाल खाची को याद करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि खाची का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था व उन्होंने कुमारसेन के लिए बहुत कुछ किया। उनके योगदान को कभी भूलाया नहीं जा सकता। खाची कुमारसेन से कांग्रेस विधायक हुआ करते थे व वह विधानसभा में पार्टी से अलग स्टैंड रखने के लिए जाने जाते थे। खाची में बाकी कई और गुण भी थे । ऐसे में जयराम ठाकुर का खाची को याद करना कांग्रेसियों ही नहीं भाजपाइयों को भी दिलचस्प लगा। वो मंद मंद मुस्कराए भी।

जयराम ठाकुर कुमारसेन के दरबार मैदान में हिमालयन टाइगर फाउडेशन द्वारा आयोजित कबड्डी और वॉलीबाल टूनामेन्ट के समापन के मौके पर कुमारसेन में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने खाची को याद कर साफ कर दिया कि भाजपा के मंच से कांग्रेसी नेता को भी याद कर सकते है। अपने मंच से विरोधी पार्टी के नेता का याद करने की भी एक राजनीति है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक कंगाली का ठीकरा पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि पिछली राज्य सरकार ने वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण राज्य कोष पर 46,500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ छोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिना प्रर्याप्त बजट प्रावधान के शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र से लगभग 9000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में पहला निर्णय बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 साल करने का लिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की विभिन्न सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए 33 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि फल व सब्जी उत्पादकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कुमारसैन में आधुनिक सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि कुमारसेन में बस अड्डा तथा पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजकों को अपनी ऐच्छिक निधि से 51000 रुपए की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने टूनार्मेंट के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने कुमारसैन में 7.81 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए आईटीआई भवन का लोकार्पण किया।उन्होंने नारकण्डा के प्रसिद्ध हाटू माता मन्दिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की।

शिमला से नारकण्डा रास्ते में मुख्यमंत्री का ठियोग व मतियाणा में जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं राज्य सरकार के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा, ठियोग के विधायक राकेश सिंघा, हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाटाह, एपीएमसी शिमला-किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा, पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी तथा सैंकड़ों लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पिछले कार्यकाल के दौरान विकास के जो कार्य रुक गए थे, उनको पूरा करने में गति लाई जाएगी।

अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर व्यापार मण्डल कुमारसैन द्वारा मुख्यमंत्री को सिक्कों से तोला गया।

ठियोग से वामपंथी विधायक राकेश सिंघा ने इस मौके पर कुमारसेन में सब्जीमंडी व सेब मंडी का निर्माण करने की मांग की । इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुमारसेन अस्पताल की सिथति दयनीय हैं। इसमें सुधार किया जाए। उन्होंने ठियोग हलके में स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा कार्यालयों में स्टाफ की कमी का मसला उठाया व मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि स्टाफ की कमी को पूरा किए बगैर लोकसेवाओं को मुहैया नहीं कराया जा सकता।

इस मौके पर भाजपा कार्यकारी समिति के सदस्य सन्दीपनी भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की मांगों का विवरण दिया। उन्होंने कुमारसैन में नए आईटीआई भवन के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया व कहा कि यह आईटीआई 2002 में तत्कालीन भाजपा सरकार का एक तोहफा था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के कारण भवन के पूरा होने में लम्बा समय लग गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कुमारसैन में बस अड्डा व पार्किंग के निर्माण की मांग की

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ागांव का नामकरण क्षेत्र से कारगिल शहीद स्व. सतीश कुमार के नाम पर शहीद सतीश कुमार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ागांव किया जाएगा।

जयराम सरकार में सतलुज बेसिन पर अवैध खनन धड़ल्ले से जारी

शिमला/शैल। राष्ट्रीय हरित पंचाट ने याचिकाकर्ता को सतलुज नदी बेसिन के हिमाचल वाले हिस्से पर हो रहे अवैध तौर पर खनन माफिया की ओर से की जा रही रेत, बजरी व पत्थरों की तस्करी व पर्यावरण को पड़ने वाले उसके प्रभाव के मामले को संत बलबीर सिंह सींचेवाला समिति के समक्ष उठाने के निर्देश दिए हैं। पंचाट के न्यायिक

सदस्य रघुवेंदर सिंह राठौर व विशेषज्ञ सदस्य सत्यवान सिंह गरबीयाल की खंडपीठ ने यह आदेश दिए ।

जिला कुल्लू के निरमंड के सतौन गांव के हंस राज सिंघा ने सतलुज नदी के किनारों पर निजी भूमि के अलावा वन व सरकारी भूमि पर खनन माफियाओं की ओर से की जा रही तस्करी का मामला पंचाट में पहुंचाया था। सिंघा ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने किसानी व मंजूरी लेकर खनन के लिए अपनी जमीन लीज पर दी थी। इस बाद वह विदेश चला गया। लेकिन खनन माफिया ने उसकी जमीन से ही नही बल्कि वन भूमि व सरकारी जमीन पर से भी रेत ,बजरी और पत्थर की तस्करी कर ली हैं। नदी के किनारे खोद कर खोखले दिए है।

इस बावत पंचाट ने शुरू में सरकार से जवाब मांगा था। वन विभाग ने पंचाट में कहा था कि उसकी जमीन पर भी अवैध खनन हुआ हैं। लेकिन यह खनन रुका नही । सिंघा ने पंचाट में दाबोरा दलीलें उसकी जान को खतरा हैं व सरकार की याह पर अवैध खनन जारी हैं।इस पर पंचाट ने लोकल कमिशनर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगा ली। याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने कहा कि स्थनीय कमिशनर की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

रिपोर्ट में सामने आया कि नदी से जेसीबी व बड़ी मशीनों के जरिए में खनन हो रहा हैं व खननकरने वालों ने किसी से भी मंजूरी नही ली हैं। कमिशनर की ही रिपोर्ट में आया कि सरकार का यह दावा कि वहां पर अवैध खनन रुक गया हैं, यह पूरी तरह से गलत है।

इसके बाद पंचाट ने याचिका कर्ता को संत सींचेवाला कमेटी के समक्ष अपना मसला उठाने के आदेश दिए। पंचाट ने कहा कि विशेषज्ञों की यह समिति तमाम पहलुओं पर गौर करेगी व यह समिति पहले ही पंजाब में पड़ने वाले ब्यास व सतलुज नदी के भाग पर हो रहे खनन व पर्यावरण को हो रहे नुकसान का जायजा ले रही हैं। पंचाट ने समिति को सतलुज बेसिन में हो रहे खनन का भी जायजा लेने के आदेश दिए है।

वशिष्ठ ने कहा कि उन्होंने पंचाट के आदेशों से सीचेंवाला को अवगत करा दिया है। सींचेवाला कमेटी अपनी जांच में पाए जाने वाले तथ्यों की रिपोर्ट व कार्रवाई के लिए तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगी।

हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मानक देश के अनेक राज्यों से बेहतर: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित कर राज्य का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के 52वें स्थापना दिवस एवं सीएमई तथा पूर्व छात्रों के मिलन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मानक देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में बेहतर है और इसका श्रेय राज्य के मेहनती और समर्पित चिकित्सकों और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज अकेले सरकारी क्षेत्र में छः मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य और पेशेवर चिकित्सक होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों के नजदीक सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी के 52 साल का सफर उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से निकले चिकित्सकों ने राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी का एक और परिसर

शिमला के समीप चमियाना में 150 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिसर एक छत के नीचे गुणवत्ता और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ओपीडी और विशेष वार्डों के लिए करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से आईजीएमसी की नई इमारत का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार पर्याप्त श्रमशक्ति और मशीनरी के साथ राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने पर विशेष बल दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के 22 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य में कोई भी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार से वंचित न रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी परिसर में वाटर एटीएम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और हाल ही में ट्रैक्स कैब दुर्घटना पीड़ितों का कुशलक्षेम जाना। इस दुर्घटना में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के भाई और दो अन्यों ने अपनी जान गंवा दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईजीएमसी की स्मारिका और वार्षिक पत्रिका भी जारी की।

मुख्यमंत्री ने आम्रजीएमसी के कई पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ने 1966 में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की थी और आज यह 100 एमबीबीएस सीटों के साथ राज्य का प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के पूर्व छात्रों ने देश में मेडिकल के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया है, जो संस्थान और राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक व आईजीएमसी के पूर्व छात्र डॉ. जगत राम ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के लिए प्रत्येक को हर रोज लक्ष्य की दिशा में छोटी पहल करनी होगी और जीवनभर छात्र बनकर रहना होगा। इस अवसर पर उन्हें ऑरेशन पदक से सम्मानित किया गया, जिसे डॉ. संजीव शर्मा ने उनकी मां की याद में प्रायोजित किया है। आईजीएमसीए शिमला के प्राचार्य द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया।

आईजीएमसी के प्राचार्य रवि सी शर्मा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज 13 अक्तूबर, 1966 को अपनी स्थापना के बाद से न केवल राज्य बल्कि उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में शूमार है। उन्होंने कहा कि संस्थान पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उत्कृष्ट पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. पीयूष कपिला ने इस अवसर पर आईजीएमसी के विकास और प्रगति पर प्रस्तुति दी।

न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 से बढ़कर 20 लाख रुपये करने का निर्णय

शिमला/शैल। राज्य मंत्रिमण्डल की मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 जून, 2006 को कुल्लू ज़िले में स्की गांव बनाने के लिए मैसर्ज हिमालयी स्की विलेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली गई 6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में से तीन प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी वापिस करने का भी निर्णय लिया है बशर्ते वे राज्य में अपनी इकाई की स्थापना के उपरांत राज्य में बाद के लिए प्रसंस्करण ढांचा स्थापित करने के लिए निजी भूमि खरीदते हैं।

किसानों को ट्रैक्टर के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को 2.5 बीघा तक छूट देने का भी निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि ट्रैक्टर मालिक के पास कृषि योग्य भूमि नही है तो वह अपनी माता या पिता के नाम पर भूमि हलफनामा जमा कर सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर पर केवल चार इंच की हरी पट्टी को ट्रैक्टर पर दर्शाना होगा।

मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के तहसील कल्पा के शीलापुर मुरंग में 13-47-52 हेक्टेयर भूमि को एचपीपीसीएल को पट्टे पर काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-2 तथा चरण-3 के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप 180 रुपये प्रतिवर्ष की पट्टा दर पर 40 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया, जिसमें की पांच वर्षों के उपरान्त पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह छूट हिमाचल प्रदेश भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के तहत दी गई है।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िले की तहसील धर्मशाला में स्थित 24-51-09 की सरकारी भूमि को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश 2018 में संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे राज्य में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं (कम्पोजिशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अब वे यह रिर्टन मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर पाएंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट तहसील के गांव खारसी में नियमित पशु औषधालय को खोलने तथा शिमला जिला के थरोच में पशु औषधालय को आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृत दी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कराटे-डू के स्थान पर कराटे को सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाएगा।

बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में दैनिकभोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 94 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के 9 पद लिमिटिड सीधी भर्ती (एलडीआर) के माध्यम से भरने तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 50 पद सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में विषयवाद विशेषज्ञ के तीन पद तथा लिपिकों के चार पद अनुबंध आधार पर भरने की भी अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने संभावित औद्योगिक जोन के औद्योगिक गलियारा में योजना विकास गतिविधियों के लिए कांगड़ा जिला के जसवां तहसील में जंदोड़ तथा कोटला में कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में परागपुर कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में ढलियारा तथा भागल कानूनगो वृत्त, डाडासिबा तहसील में जम्बाल कानूनगो वृत्त को सम्मिलत करने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारियों के 6 पदों को सृजित तथा भरने की मंजूरी दी। इससे क्षेत्र के रोगियों को आपातकाल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित व भरने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार (एलोकेशन) नियम 1971 में क्रम संख्या 10 की जगह उद्योग विभाग के नए विषय इंटेग्रेटिड डवेलेमपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर को भी शामिल करने का निर्णय लिया।

4.34 लाख किसानों को मिले क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 6193.96 लाख के ऋण

शिमला/शैल। बैंकरों को लक्षित क्षेत्रों कृषि, पर्यटन, बागबानी, सेवा क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए ऋण-जमा अनुपात को बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य स्तरीय बैंकर्ज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात 35.47 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 75.64 प्रतिशत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि बैंकों को लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। अनुप्रासंगिक मुक्त ऋण के लिए तथा ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडिया एंड स्मॉल इंटरप्रन्योर (सीजीटीएमएसई) के पूर्वावलोकन के तहत राज्य में सहकारी बैंक लाने के प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को सरल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि परिवारों के एक बड़े अनुपात में ऋण प्राप्ति के लिए गैर संस्थागत स्त्रोतों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि केवल 46.51 प्रतिशत परिवारों ने ही नए संस्थागत ऋणों का विकल्प चुना है। इसलिए बैंकरों को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए आसान व सरल प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ऋण लेने को प्रेरित करने के लिए सहकारी समितियों जैसे स्वयं सहायता समूहों, किसान संघों आदि का सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने और अन्य सुविधाएं प्रदान करके लघु व सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋण सुविधाओं में विस्तार के लिए ऋण नीति तैयार की जानी चाहिए। और तय समयावधि में ऋण-जमा अनुपात में सुधार के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य, कौशल विकास, मानव संसाधन विकास आदि क्षेत्रों में अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण सुविधाएं कम हैं। इसलिए बैंकिग क्षेत्रों को ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थागत ऋणों के लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करने की जिम्मेवारी बैंकों की भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एक लाख रुपये से कम के केसीसी ऋणों पर गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बैंकों को किसानों के केसीसी कवरेज का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जून, 2018 तक बैंकों ने 6193.96 लाख के ऋण 4.34 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदान किए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च ऋण-जमा अनुपात का मतलब उच्च पूंजी निर्माण है जो रोजगार सृजन करता है तथा आय व संपत्ति भी उत्पन्न करता है तथा इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों की सुविधा के लिए औद्योगिक कलस्टर, औद्योगिक हब तथा विशेष आलथक क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बैंकरों को उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि राज्य में बैंकों के पास 1.05 लाख करोड़ रुपये की जमा पूंजी है जबकि इसमें से केवल 37400 करोड़ के ऋण हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए आवास क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए।

राज्य स्तरीय बैंकर्ज सम्मेलन के संयोजक व यूको बैंक के महाप्रबंधक विवेक कौल तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोफेसर सतीश वर्मा ने इस अवसर पर प्रस्तुति दी। सचिव वित्त अक्षय सूद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, रामसुभग सिंह, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, जे.सी. शर्मा तथा मनोज कुमार, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा राज्य सरकार व बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

500 प्रतिभावान विद्यार्थियों को एक लाख रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य के स्कूलों के पुराने विद्यार्थियों और अब कॉर्पोरेट दुनिया में विभिन्न प्रतिष्ठानों में शीर्ष पदों पर आसीन व्यक्तियों को विद्यार्थियों के लिए आदर्श, प्रेरक व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल कर सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात अखण्ड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती के तहत प्रदेश के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल राज्य के सरकारी स्कूलों में घटती नामांकन दर कम करने में सहायता मिलेगी बल्कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रतिष्ठित विद्यार्थियों को प्रदेश के स्कूलों का दौरा करना चाहिए तथा स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को करियर परामर्श व सफलता की कहानियों का आदान -प्रदान कर कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नही है, लेकिन उन्हें केवल सही दिशा देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे 500 प्रतिभावान विद्यार्थियों को आईआईटी, एनईईटी, की तरह व्यवहार करेंगे और उन्हें आज के दौर में गतिशील नौकरी बाजार में रोज़गार प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन और सहायता करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों का विभिन्न क्षेत्रों में विटि स्थान प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट विद्यार्थी तैयार कर प्रदेश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी स्कलों में दाखिल करने का जुनून है और अब राज्य सरकार ने अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के लिए प्रेरित करने को प्रथम चरण में 3391 सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की बागडोर संभालने के उपरान्त समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं। उन्होंने कहा कि अखण्ड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती इनमें एक है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से निकले प्रतिभावान पुराने विद्यार्थियों को सम्मानित करना व उनको स्कूल के साथ जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्पोरेट दुनिया के 12 वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रदेश के पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं के लिए अपना योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अखण्ड शिक्षा ज्योति-मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम राज्य के गतिशील मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की सोच है। वह चाहते हैं कि प्रदेश के स्कूलों से निकले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए, जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में विशेष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को विश्व गुरू के रूप में जाना जाता था परन्तु सदियों की दास्ता के कारण यह स्थिति नहीं रह पाई, ऐसे में अब प्रत्येक का यह दायित्व बनता है कि इस गरिमामयी स्थिति को पुनर्बहाल करने के लिए मिल-जुलकर कार्य करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, निदेशक उद्योग राजेश शर्मा तथा राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

एचपीपीसीएल का पुलिस के सहारे गांव में घुसने का प्रयास

शिमला/शैल। किन्नौर के लिप्पा गाँव के निवासियों ने एचपीपीसीएल पर कशांग जल विद्युत परियोजना चरण दो और तीन का काम शुरू करने के लिए दबाव डालने का विरोध किया है। 9 अक्तूबर को कंपनी के अधिकारियों द्वारा गाँव में पुलिस के सहारे घुसने की कोशिश पर गाँव निवासियों द्वारा प्रदर्शन कर धरना

दिया गया जिस कारण एचपीपीसीएल टीम को वापस लौटना पड़ा। याद रहे पिछले 10 वर्षों से लिप्पा गाँव के लोग पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले इस परियोजना के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

वनाधिकार समिति लिप्पा के सचिव ताशी चवांग ने कहा कि 2016 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जारी किए एक आदेश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व प्रदेश सरकार को इस परियोजना के वन हस्तांतरण का पूरा प्रस्ताव प्रभावित ग्राम सभाओं के समक्ष रख कर उनसे अनुमति लेनी थी। आदेश में कहा गया था कि ग्राम सभा वन अधिकार कानून 2006 के तहत सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों पर विचार करेगी और इसके बाद परियोजना को एनओसी देने के लिए विचार करेगी।

आदेश का पालन करते हुए 2016 में लिप्पा गाँव की वन अधिकार समिति ने अपने दावे पेश करने की प्रक्रिया शुरू की और वन अधिकार कानून के तहत वन भूमि पर 47 व्यक्तिगत दावे और 1 सामूहिक दावा भर कर उप मंडल स्तरीय समिति को पेश किया। प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते इस पूरी प्रक्रिया में काफी विलम्ब भी हुआ लेकिन अगस्त 2018 में उप मंडल एवं जिला स्तरीय समितियों ने लिप्पा के सामूहिक दावों को मान्यता दे दी लेकिन अभी भी व्यक्तिगत दावों के लिए उप मंडल स्तरीय समिति की तरफ से मंजूरी नही दी गई है। इस मामले में दावेदारों द्वारा आपत्तियां दर्ज की जायेंगी। इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने पर ही कंपनी द्वारा परियोजना से जुड़ी कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।

उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2017 में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने एनजीटी को यह गलत जानकारी दी कि लिप्पा ग्राम सभा द्वारा दावे पेश नही किये जा रहे। जब कोर्ट के सामने संघर्ष समिति के दस्तावेज पेश करने पर कोर्ट ने दिसंबर 2017 में आदेश दिया की ग्राम सभा ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे दायर कर दिए हैं और अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी की जाये। इसके बावजूद कंपनी के अधिकारियों द्वारा गाँव में बार बार दौरा किया जा रहा था और 24 अगस्त को रिकांगपियो के एसपी ने चिठ्ठी जारी की जिसमें कंपनी को परियोजना का काम शुरू करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया गया।

कंपनी ने पुलिस को भी यह गलत जानकारी दी कि परियोजना से जुडी कानूनी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है जब की वन अधिकार कानून के तहत एनओसी लेना अभी बाकी है और जब तक दावे मंजूर होने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक ग्राम सभा एनओसी का फैसला नही ले सकती है।

चवांग ने कहा कि समिति ने एसपी को लिखित में अपनी आपत्तियां दी हैं और यह भी बताया है कि वन अधिकार कानून हमारे देश के संसद द्वारा पारित कानून है जिसका उल्लंघन हकदारों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। चूंकि किन्नौर एक अनुसूचित जन जातीय इलाका है इसके कानून के प्रावधानों में यह भी शामिल है कि अनुसूचित जनजाति के दावेदारों को अपने अधिकारों से वंचित करने पर एससी, एसटी अत्याचार निवारण कानून का भी उल्लंघन होगा।

मोदी-शाह के खास अदानी

.... पृष्ठ 1 का शेष

मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमिताशाह के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन्ही संबंधों के परिदृश्य में वीरभद्र शासन में यह पैसा लौटाने का फैसला लिया गया था जो किसी कारण से पूरा नही हो पाया। परन्तु अब जब जयराम सरकार यह पैसा लौटाने के फैसले की जांच करने की बात कर रही है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार भी इस पैसे को आने वाले दिनों में चाहकर भी वापिस नही कर पायेगी। जबकि पिछले दिनों यह चर्चा चल पड़ी थी कि इस पैसे को यह सरकार वापिस कर देगी। अब यह जांच किये जाने का असर अदानी पर क्या पड़ता है। इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। लेकिन इन सारे फैसलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन फैसलों पर कोई अमल नही हो पायेगा।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जयराम सरकार आखिर भ्रष्टाचार के फ्रन्ट पर कर क्या रही है। क्योंकि जंहा इन मसलों पर जांच की बात की जा रही है वहीं पर स्वयं ऐसे फैसले कर रही है जिनसे सीधे राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है और दूसरों को नाजायज़ लाभ पंहुचाया जा रहा है। दीपक सानन को दिया गया स्टडीलीव लाभ सीधे भ्रष्टाचार में आता है। फिर धारा 118 के तहत अनुमति लेकर ज़मीन खरीद कर लिया गया टीडी लाभ भी भ्रष्टाचार में ही आता है। यही नही विनित चौधरी से भी बांड की रिकवरी नकारना भी भ्रष्टाचार है। सहकारी बैंको में हुई भर्तियों के मामले में सरकार की ओर से पूरे दस्तावेजों के साथ विजिलैन्स को मामला दर्ज करने की शिकायत गयी थी लेकिन इस पर भी विजिलैन्स ने अब तक मामला दर्ज नही किया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शिकायत मिलने के एक सप्ताह के भीतर मामला दर्ज हो जाना चाहिये।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह बनाम सतलुज जलविद्युत निगम में 24.9.18 को दिये फैसले में राजेन्द्र सिंह और उनके वारिसों के आचरण को फाड करार दिया है। स्पष्ट है कि जब अदालत ने इस आचरण को फाड कहा है तब यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस पर मामला दर्ज करके फाड में शामिल सबको चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करे। इस फैसले में तो तीन माह के भीतर 12% ब्याज सहित सारे पैसे की रिकवरी करने के भी आदेश अदालत ने कर रखें हैं और इसकी रिपोर्ट तलब की है। लेकिन जयराम की टीम के लोगों को इस फैसले की जानकारी तक नही है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार को लेकर जयराम की नीयत और नीति क्या है। क्योंकि जिन मुद्दों पर जयराम हाथ डाल चुके हैं उनकी जांच वीरभद्र, प्रेम कुमार धमूल और मोदी-शाह के खास अदानी तक पहुंचना अनिवार्य है। ऐसे में क्या जयराम ने इन सबको साधने के लिये इस तरह रणनीति अपनाई है या फिर अफसरशाही ने अपनी चाल चलकर जयराम को इन सबके साथ इक्टठे भिड़ा दिया है। इस वस्तुस्थिति में इन मुद्दों का किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंच पाना संभव नही लग रहा है और यही जयराम की परीक्षा भी सिद्ध होने जा रही है।

शिमला शहर में चलेंगी तीस नई इलेक्ट्रिक बसें

शिमला/शैल। शिमला में बस किराया बढ़ोतरी के बाद भी बसों में भेड़-बकरियों की तरह सफर करने पर मजबूर व प्राईवेट बसों में प्रताड़ना सह रही शिमला की जनता को प्रदेश सरकार आरामदायक यात्रा सुविधा एवं प्रदुषण मुक्त परिवहन व्यवस्था के लिए शीघ्र ही 30 नई इलेक्ट्रिक बसें देने जा रही है। इससे पहले भी सरकार इलेक्ट्रिक टैक्सी शिमला शहर में शुरू कर चुकी है। नया बस अड्डा बने काफी अरसा बीत चुका है लेकिन

आज भी पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे के लिए बसों में जिस तरह की भीड़ हर समय नज़र आती है वह परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की पोल खोलता है। इतने अरसे बाद भी पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे व अन्य लोकल स्टेशनों के लिए सुचारू रूप से बस सेवा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण यात्रियों को जगह-जगह धक्के खाने पड़ते है। इस समय शिमला शहर में प्राइवेट बसें जिस तरह नियमों को ताक पर रख कर चल रही हैं वह हर वक्त किसी बड़े हादसे को न्योता देती है।

अब सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। इन बसों से शिमला शहरवासियों को जहां आरामदायक यात्रा सुविधा हासिल होगी वहीं धुआं रहित इन बसों से दिनों-दिन बढ़ते प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। शिमला शहर के लिए केन्द्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मन्त्रालय के सहयोग से 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी हैं, जिनमें तीस बसें 9 मीटर तथा बीस बसें 7 मीटर लम्बाई की हैं।

प्रदेश सरकार देश भर से न्यूनतम कीमत में बसों को खरीद रही है। प्रदेश सरकार 76.97 लाख रुपए में 9 मीटर लम्बी 31 सीटर 30 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है जो पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा करीब दो करोड़ रुपए में खरीदी गई बसों से गुणवता, कीमत तथा आराम के मामलों में अब्बल हैं। इन खरीदी जा रही बसों की यह विशेषता है कि पूर्व में खरीदी गई बसें फुल चार्ज होने में पांच से छः घंटे का समय लेती थी। जबकि ये बसें केवल आधे घन्टे में ही फुल चार्ज हो जाएगी। प्रदेश सरकार मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए कम से कम कीमत पर प्रदेशवासियों को आरामदायी एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करने जा रही है।

सात मीटर लम्बाई की 20 और बसें शिमला शहर के लिए खरीदी जानी हैं, जिन्हें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। औपचारिकताएं पूर्ण होने बाद शीघ्र ही ये 20 बसें भी शिमला शहरवासियों को उपलब्ध हो जाएंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों से शहर की जनता का सफर आराम दायक हो पाएगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

क्या जंनमंच का समन्वयक

.... पृष्ठ 1 का शेष

व्यक्ति हैं बतौर मंत्री उनका योगदान सराहनीय रहा है।लेकिन इस बार जब वह मंत्री नहीं बन पाए और सचेतक बनने के लिए भी उन्हें काफी प्रयास करने पड़े है। और यह सब कुछ करने के बाद भी यह आंशका बराबर बना रहेगी कि यदि इस विधेयक को उच्च न्यायालय में चुनौती मिली तो इससे नुकसान भी हो सकता है। मुख्य सचेतक और समन्वयक बनने से यह संदेश आम आदमी में जाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नही चल रहा था। कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट घट सकता है। इस तरह के प्रयासों से उस संभावना को कन्ट्रोल करने की कवायद की गई है। लेकिन मंत्री और सचेतक के बीच जो पद प्रतिष्ठा का अन्तराल है क्या उसकी टीस ऐसे प्रयासों से कम हो पायेगी-शायद नही। क्योंकि जिन लोगों को मंत्री रह चुकने के बाद अब इन पदों पर अपना आत्म सम्मान दांव पर लगाना पड़ा है वह हर समय इस ताक में रहेंगे कि कब उनको कुछ और करने का मौका मिले। विधानसभा के पिछले सत्र में धवाला ने जिस तर्ज और मुद्रा में सरकार से कई कुछ असहज सवाल पूछे थे। इसी का परिणाम है कि वह योजना के उपाध्यक्ष बन पाये हैं। यह पद मुख्य सचेतक से हर तरह से बेहतर है क्योंकि इसको लेकर शायद कोई संवैधानिक सवाल न उठें।